चोरी मामले में कार्रवाई नहीं होने पर ग्रामीणों ने किया सड़क जाम

तरारी (भोजपुर)। पीरो अनुमंडल के सिकरहटा थाना क्षेत्र के कुरमुरी गांव में चोरी के मामले में त्वरित कार्रवाई नहीं होने से नाराज ग्रामीण गुरुवार को सड़क पर उतर गए। आक्रोशित ग्रामीणों ने बिहिया-बिहटा स्टेट हाईवे को कुरमुरी गांव के समीप सुबह 9 बजे 1 बजे तक करीब चार घंटे तक जाम कर दिया। इस दौरान सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और अफरातफरी की स्थिति बनी रही। ग्रामीण पीरो डीएसपी को मौके पर बुलाने, सिकरहटा थानाध्यक्ष को हटाने तथा चोरी गए गहनों की बरामदगी के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। मामला बुधवार की देर रात का बताया जा रहा है। कुरमुरी गांव निवासी स्व. जयप्रकाश की पत्नी रंजू देवी ने बताया कि वह पूरे परिवार के साथ गांव में चल रही रामलीला देखने गई थीं। रात करीब एक बजे जब घर लौटीं तो घर की बिजली कटी हुई थी। घर में चोरी होने की आशंका पर उन्होंने शोर मचाना शुरू किया। उनका आरोप है कि घर से उनकी बेटी के करीब 20 लाख रुपये मूल्य के गहने चोरी कर लिए गए हैं। रंजू देवी के अनुसार, पड़ोस में रहने वाले संतोष साह की पत्नी बेबी देवी का उनके घर आना-जाना था और उसे घर में रखे गहनों की जानकारी थी। आरोप है कि बेबी देवी भी उनके साथ रामलीला देखने गई थी, लेकिन बहाना बनाकर रात करीब 10 बजे वापस चली गई। पीड़िता का आरोप है कि इसके बाद वह छत के रास्ते घर में दाखिल हुई और गहने लेकर चली गई। घटना की सूचना सिकरहटा थानाध्यक्ष सनोज कुमार को दी गई। पीड़िता के अनुसार, सिकरहटा थानाध्यक्ष सनोज कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े रहे। ग्रामीणों का आरोप था कि थानाध्यक्ष लोगों से ठीक से बातचीत नहीं करते और मामलों में त्वरित कार्रवाई नहीं करते। ग्रामीणों ने



कहा कि थानाध्यक्ष की कार्यशैली से पूरे सिकरहटा थाना क्षेत्र के लोग परेशान हैं। पुलिस ने करीब तीन बजे आरोपी महिला बेबी देवी और उसके पुत्र को थाने लाकर पूछताछ की। लेकिन सुबह आरोपी के पुत्र को घर पर देख ग्रामीण भड़क गए और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए सड़क पर उतर आए। जाम की सूचना पर सर्किल इंस्पेक्टर राजीव रंजन, अंचल अधिकारी राणा अक्षय प्रताप सिंह, प्रखंड विकास पदाधिकारी कुंदन कुमार और मामले की जानकारी मिलने पर पीरो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कन्हैया कुमार मौके पर पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार और ग्रामीणों से बातचीत कर मामले की जानकारी ली तथा चोरी की घटना में त्वरित कार्रवाई और जांच का आश्वासन दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने सड़क जाम समाप्त कर दिया। इधर, सड़क जाम के दौरान ही उच्चकों ने एक बुजुर्ग महिला के बैग से करीब पांच लाख रुपये मूल्य के सोने के जिउतिया, छह हजार रुपये नकद, एटीएम कार्ड, आधार कार्ड और रियलमी 5एस मोबाइल पर हाथ साफ कर दिया। घटना के बाद बुजुर्ग महिला का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। बताया गया कि अरवल जिले के प्रसादी इंग्लिश निवासी अग्नि त्रिपाठी की 70 वर्षीय पत्नी सुमित्रा देवी अपनी बेटी और नाती-नातिन के साथ अपने मायके बसडीहा गांव जा रही थीं। इसी दौरान वे लोग ऑटो से उतरकर किसी बात की जानकारी लेने लगे। आरोप है कि इसी दौरान उच्चकों ने सुमित्रा देवी के बैग से सामान निकाल लिया और मौके से फरार हो गए। कुछ देर बाद जब वे वापस ऑटो के पास पहुंचे और सुमित्रा देवी ने अपना पर्स देखा तो वह खुला हुआ था। पर्स से सोने के करीब पांच लाख रुपये मूल्य के जिउतिया, छह हजार रुपये नकद समेत अन्य सामान गायब थे। सामान चोरी होने का पता चलते ही बुजुर्ग महिला छाती पीट-पीटकर रोने लगीं। सड़क पर मौजूद भीड़ और जाम के बीच वह मदद के लिए गुहार लगाती रहीं, लेकिन तत्काल उनकी सहायता करने वाला कोई सामने नहीं आया। एक ही सड़क जाम के दौरान चोरी की दूसरी घटना सामने आने से ग्रामीणों में भी आक्रोश देखा गया।

करंट की चपेट में आने से महिला की मौत

आरा (भोजपुर)। जिले के कृष्णगढ़ थाना क्षेत्र के मुबारकपुर गांव में गुरुवार की दोपहर विद्युत प्रवाहित तार की चपेट महिला की मौत हो गई। इलाज के लिए सदर अस्पताल लाने के दौरान उसने रास्ते में दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार मृतका कृष्णगढ़ थाना क्षेत्र के मुबारकपुर गांव निवासी बाली पासवान के 28 वर्षीया पत्नी ममता कुमारी है। इधर, मृतका के देवर वकील कुमार पासवान ने बताया कि गुरुवार की दोपहर वह अपने बच्चों को आंगनबाड़ी से लेकर वापस घर लौट रही थी और घर के बाहर दरवाजे पर बिजली का खंभा गड़ा है। उसी बिजली के खंभे से तार टूट कर नीचे गिर पड़ा था। घर आने के क्रम में उनका पैर में फंस गया और वह नीचे गिर पड़ी। तभी उनकी केहुनी उसी विद्युत प्रवाहित तार में स्पर्श कर गई और करंट की चपेट में आकर वह गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। जहां चिकित्सक ने देख उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस द्वारा शव का पोस्टमार्टम कराया गया। बताया जाता है कि मृतका को दो पुत्र उज्जवल कुमार एवं रिशु कुमार है। घटना के बाद मृतका के घर में कोहराम मच गया।

पोखर में डूबे युवक का 15 घंटे बाद मिला शव

दिनारा (रोहतास)। थाना क्षेत्र के प्रसिद्ध यक्षिणी भवानी मंदिर स्थित तालाब में बुधवार शाम पांच बजे दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान डूबे युवक का शव गुरुवार सुबह करीब 9 बजे बरामद कर लिया गया है। थानाध्यक्ष रंजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि दिनारा थाना क्षेत्र के चितांव गांव निवासी मनीकरण सिंह के 20 वर्षीय पुत्र सूरज कुमार के रूप में हुई है। बताया जाता है कि युवक दिनारा के बरडीहा गांव में अपनी मौसी के घर आया था। बुधवार शाम वह दुर्गा प्रतिमा विसर्जन में शामिल होने तालाब पहुंचा था, जहां प्रतिमा के नीचे दबकर वह गहरे पानी में डूब गया। काफी खोज बिन के बाद युवक का शव बरामद कर लिया गया है। जिसमें यूडी कांड दर्ज किया गया है। वही शव मिलने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे मे ले कानूनी प्रक्रिया पूरी होने पर पोस्टमार्टम के लिए परिजनों को सौंप दिया है।

पूर्व अधिकारी की हत्या के आरोपियों की पुलिस ने करायी गुंडा परेड

आरा (भोजपुर)। चर्चित पूर्व कस्टम अधिकारी सह क्षत्रिय कल्याण संघ के अध्यक्ष रामकुमार सिंह की हत्या में मुख्य आरोपित चंदन सिंह सहित तीन अभियुक्तों का पुलिस ने गुंडा परेड कराया। नवादा थाना की पुलिस ने हत्याकांड के मुख्य आरोपी नगर थाना क्षेत्र के बड़की सिंगही गांव निवासी चंदन सिंह, बिंद टोली निवासी अभिषेक यादव और नवादा थाना क्षेत्र के चंदवा हाउसिंग कॉलोनी निवासी टीपू कुमार को न्यायालय में भेजने से पहले गुंडा परेड कराया। इस दौरान पुलिस टीम नवादा थाना से तीनों अभियुक्तों को लेकर पैदल करमन टोला, मठिया मोड़, महावीर टोला, रमना रोड होते हुए न्यायालय पहुंची। गुंडा परेड को देखने के लिए सड़क के दोनों और लोगों की भीड़ उमड़ी रही। इस दौरान नवादा थानाध्यक्ष कुमार रजनीकांत के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस कर्मी तैनात रहे।



स्थानीय लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई की काफी सराहना की है, कहा कि पुलिस की इस कार्रवाई से अपराधियों का मनोबल गिरेगा। बता दें कि 15 अक्टूबर की सुबह करीब छह बजे कनकपुरी मोहल्ले में मॉर्निंग वॉक पर जाने के लिए घर से निकल रहे क्षत्रिय कल्याण संघ के अध्यक्ष सह पूर्व कस्टम अधिकारी रामकुमार सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी। कार निकालने के बाद गैराज में ताला बंद करने के दौरान घात लगाए बाइक सवार बदमाशों की ओर से उन्हें सात से आठ गोलियां मारी गयी थी। इस मामले में पूर्व अधिकारी के बेटे अमित कुमार उर्फ गोल्डी के बयान पर मुकदमा दर्ज किया गया है। उसमें चंदन सिंह, मुफस्सिल के तत्कालीन थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर राम कल्याण यादव और राजस्व कर्मचारी विष्णु देव सिंह सहित 14 लोगों को नामजद किया गया है। चंदन सिंह सहित अन्य लोगों पर गोली मारने, जबकि इंस्पेक्टर राम कल्याण एवं राजस्व कर्मचारी विष्णु देव सिंह सहित अन्य लोगों पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने घटना के दिन ही एक आरोपित मनोज सिंह उर्फ लक्की को गिरफ्तार कर लिया था। जबकि चंदन और अभिषेक की गिरफ्तारी कोलकाता से हुई। वहीं टीपू को आरा से गिरफ्तार किया गया।

संभावना के छात्र श्रेयांश सिंह ने लहराया सफलता का परचम

बिहार राज्य खेलकूद खेलकूद प्रतियोगिता के भारत तोलन में जीता सिल्वर मेडल

आरा (भोजपुर)। शहर के शुभ नारायण नगर मझौंवा स्थित संभावना आवासीय उच्च विद्यालय के छात्र श्रेयांश



कुमार सिंह ने वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में अपनी सफलता का परचम लहराया है। विद्यालय के कक्षा 12वीं के छात्र श्रेयांश कुमार सिंह ने विद्यालय भारत्तोलन प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। उसने भोजपुर जिला खेल प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर गोल्ड मेडल जीता। वही प्रमंडल खेलकूद प्रतियोगिता में भी उसने प्रथम स्थान लाकर स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके बाद बिहार राज्य खेलकूद प्रतियोगिता में उसने उच्चस्तरीय खेल का प्रदर्शन करते हुए सेकंड स्थान प्राप्त कर सिल्वर मेडल को अपने नाम किया। उसकी इस उपलब्धि पर विद्यालय की निदेशक डॉ. कुमार द्विजेंद्र एवं प्राचार्या डॉ. अर्चना सिंह ने बधाई दी है। प्राचार्या डॉ.अर्चना सिंह ने कहा कि होनहार छात्र श्रेयांश कुमार सिंह पर विद्यालय को गर्व है, उसने अपने मेहनत और काबिलियत के बल पर यह मुकाम हासिल किया है। उसकी इस उपलब्धि से संभावना विद्यालय का नाम पूरे बिहार स्तर पर रोशन हुआ है। निदेशक डॉ. कुमार द्विजेंद्र ने कहा कि श्रेयांश कुमार सिंह ने विद्यालय का नाम रोशन कर मान-सम्मान बढ़ाया है।

सीएचओ की विदाई पर समारोह

दिनारा (रोहतास)। प्रखंड क्षेत्र के बैरीपुर उप-स्वास्थ्य केंद्र में सीएचओ चांदनी कुमारी के स्थानांतरण को लेकर विदाई समारोह आयोजित किया गया। जिसमें उपस्थित एएनएम ,फैसिलिटर, आशा ने केक काटा एवं मिठाईयां बांटी। एवं उनके किए गए कार्यों की सराहना किया गया। उनकी स्थानांतरण बक्सर जिले में हुई है। इनके स्थानांतरण होने के बाद बैरीपुर उप-स्वास्थ्य केंद्र में अभी सीएचओ का स्थायी प्रभार नहीं मिला है।

रेल जन संवाद में यात्रियों ने रखी समस्याएं

पीरो (भोजपुर)। पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेल मंडल अंतर्गत आरा-सासाराम रेलखंड के हसन बाजार स्टेशन हाल्ट पर रेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित रेल जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान आम रेल यातरियों ने काफी मुखर होकर अपनी समस्याओं को उठाया। रेलवे के सीटीआई रंजीत कुमार की मौजूदगी में आयोजित इस रेल जन संवाद कार्यक्रम के दौरान ज्यादातर स्थानीय रेल यात्रियों ने पटना-भभुआ इंटरसिटी (13249, 13250) के हसनबाजार स्टेशन हाल्ट पर ठहराव की मांग प्रमुखता से की। यात्रियों ने बताया कि उक्त ट्रेन का हसनबाजार स्टेशन हाल्ट पर ठहराव नहीं होने से स्थानीय लोगों को 10 किलोमीटर दूरी तय कर बिक्रमगंज या पीरो जाकर ट्रेन पर सवार होना पडता है। इसी तरह हसनबाजार स्टेशन हाल्ट पर प्लेटफार्म को ऊंचा करने, शौचालय, प्रकाश व्यवस्था, कम्प्यूटराइज्ड टिकट व साफ-सफाई सुनिश्चित करने की मांग भी प्रमुखता से



उठाई गई। रेलवे के वरीय अधिकारी आनलाइन पूरे जनसंवाद कार्यक्रम को देखकर रहे थे। वैसे सीटीआई ने यात्रियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनके निदान का भरोसा दिलाया। मौके पर समाजसेवी आनंद कुमार, रामनाथ प्रसाद, कातर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि कन्हैया सिंह, नारायणपुर पंचायत मुखिया गुड्डु कुमार, जेठवार पंचायत मुखिया मुन्ना कुमार, कातर ग्राम कचहरी के सरपंच शारदा देवी एवं उपसरपंच गीता देवी, बाबा जी विजेंद्र चौधरी, वीरेंद्र गुप्ता, श्री राम कुशवाहा, सुभाष साह सहित बहुत सारे विद्यार्थी और दैनिक यात्री मौजूद थे।

न्यायालय सब जज 6 सब जज
आरा भोजपुर
टी.एस. नं. 980/2025
कान्ती देवी पुत्री गिरजा प्रसाद सिंह सा.-रन्नी पो.-डुमरीया थाना सिकरहटा जिला भोजपुर-वादिनी
बनाम
1. राजमुना देवी द्वितीय पत्नी स्व. गिरजा प्रसाद सिंह, 2. मालती देवी पुत्री गिरजा प्रसाद सिंह, 3. सरिता देवी पुत्री गिरजा प्रसाद, 4. संगीता देवी पुत्री गिरजा प्रसाद सिंह, 5. फुल कुमारी देवी पुत्री गिरजा प्रसाद सिंह सभी सा.-रन्नी, पो.-डुमरिया थाना-सिकरहटा जिला-भोजपुर-प्रतिवादीगण
चूं बजरीय इस गजट प्रकाशन के आप लोगों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वाद के वादिनी ने आप लोगों पर उपरोक्त वाद दायर किया है जो उपरोक्त न्यायालय में वास्ते सुनवाई के लिए रखा गया है जिसका नोटिस एवं रजिस्ट्री नोटिस आप लोगों पर भेजा गया लेकिन आज तक आप लोग उपरोक्त न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके। इसलिए आप निम्नलिखित तारीख 17-11-26 को असालतन या वकालतन उपस्थित होकर जो कुछ एतराज करना हो सके करें वरना आप लोगों की अनुपस्थिति में एकतरफा कार्रवाई अमल में लायी जायेगी।
इस सख्त ताकीद जाने।
सब जज-6 आरा
9/482/26

70 श्रद्धालुओं का जत्था तीर्थयात्रा पर रवाना



चरपोखरी (भोजपुर)। भोजपुर जिले के चरपोखरी प्रखंड मुख्यालय से बुधवार को 70 श्रद्धालुओं का जत्था देश के विभिन्न प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन एवं भ्रमण के लिए रवाना हुआ। तीर्थयात्रा में चरपोखरी सहित आसपास के क्षेत्रों के श्रद्धालु शामिल हैं। यात्रा के दौरान श्रद्धालु उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के विभिन्न धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों का दर्शन करेंगे। यात्रा के व्यवस्थापक उमेश सिंह ने बताया कि तीर्थयात्रा के दौरान श्रद्धालु उत्तर प्रदेश के काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग और प्रयागराज, मध्य प्रदेश के चित्रकूट, मैहर, बागेश्वर धाम, उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग एवं ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर, घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, नासिक, शिरडी साईं बाबा मंदिर, शनि देव मंदिर और एलोरा की गुफाओं सहित अन्य प्राचीन धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करेंगे। वहीं, समाजसेवी मनोज साह ने बताया कि चरपोखरी से प्रत्येक वर्ष श्रद्धालुओं का जत्था तीर्थयात्रा के लिए रवाना होता है। इस पहल से लोगों को देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन करने का अवसर मिलता है। श्रद्धालुओं के जत्थे की रवानगी के मौके पर दुर्गेश सिंह, संतोष यादव, राहुल केशरी, महेश साह, अशोक साह, रमेश राय, सोनू साह, लल्लू साह, राजकुमारी देवी सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे।

द्वितीय अपील के 8 मामलों की सुनवाई, तीन का निष्पादन

आरा (भोजपुर)। जिला पदाधिकारी भोजपुर श्री मनेश कुमार मीणा द्वारा आज बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के अंतर्गत द्वितीय अपील के कुल 8 मामलों की सुनवाई की गई। इनमें मुख्य रूप से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित मामले शामिल थे। सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक मामले की विस्तृत समीक्षा करते हुए अपीलार्थियों द्वारा उठाए गए बिंदुओं तथा संबंधित विभागों द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी ली गई। मामलों के निस्तारण में उत्पन्न परिस्थितियों एवं उपलब्ध अभिलेखों की भी समीक्षा की गई। सुनवाई के क्रम में कुल 03 मामलों का निष्पादन सुनिश्चित किया गया। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को शेष लंबित मामलों का शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन निर्धारित समय-सीमा के भीतर सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

ब-इजलास,
प्रधान न्यायाधीश
कुटुम्ब न्यायालय, भोजपुर, आरा।
भरण पोषण वाद सं. 167/2024
सरिता देवी .... वादी
बनाम
मुकेश कुमार .... प्रतिवादीगण
गजट नोटिस बनाम : (1) मुकेश कुमार पिता जगमोहन प्रसाद, ग्राम-मटुकपुर, थाना-बड़हरा, जिला- भोजपुर।
चूं बजरिये इस गजट प्रकाशन के द्वारा आप को सूचित किया जाता है कि वादी ने उपरोक्त मुकदमा में आपको पक्षकार बनाया गया है जिसमें अदालती कार्यवाही में चपरासी वो रजिस्टर्ड डाक द्वारा सम्मान निर्गत होने के पश्चात् भी आपको न्यायालय में हाजिर नहीं हुए हैं।
अत: इस गजट के माध्यम से आपको अंतिम रूप से आगाह एवं सूचित किया जाता है कि दिनांक 10 माह 12 वर्ष 2026 को समय 10:30 बजे मेरे न्यायालय में स्वयं अथवा वकालतन उपस्थित होकर जो कुछ उजर एतराज करना हो करें, अन्यथा आपके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर मोकदमा का निष्पादन कर दिया जायेगा। इसे सख्त ताकिद समझें।
गजट प्रकाशन न्यायालय के मोहर सहित हस्ताक्षर द्वारा प्रकाशित किया जाता है
आदेशानुसार
प्रधान न्यायाधीश
कुटुम्ब न्यायालय, भोजपुर, आरा।
9/482/26

बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना – 800015
अत्यावश्यक सूचना
सभी संबंधित को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि बिहार विधान परिषद् के पटना स्नातक एवं पटना शिक्षक, तिरहुत स्नातक एवं तिरहुत शिक्षक, दरभंगा स्नातक एवं दरभंगा शिक्षक, कोसी स्नातक तथा सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का द्विवार्षिक निर्वाचन, 2026 के अवसर पर निर्वाचकों की व्यक्तिगत पहचान अनिवार्य है। निर्वाचक की व्यक्तिगत पहचान स्थापित होने के पश्चात् ही मतदान करने की अनुमति दी जायेगी। शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के भी निर्वाचक होते हैं। विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक होने के कारण निर्वाचकों की व्यक्तिगत पहचान के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचकों को मतदाता फोटो पहचान पत्र निर्गत किये गये हैं। ऐसे मतदाता फोटो पहचान पत्र के आधार पर निर्वाचक अपनी व्यक्तिगत पहचान स्थापित कर मतदान में भाग ले सकते हैं। वैसे निर्वाचक जिन्हें किसी कारणवश निर्वाचक फोटो पहचान पत्र निर्गत नहीं किया जा सका है अथवा निर्वाचक फोटो पहचान पत्र किसी कारणवश प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उनकी व्यक्तिगत पहचान के लिए आयोग के द्वारा वैकल्पिक फोटो दस्तावेजों की सूची जारी कर दी गई है, जिनका इस्तेमाल मतदान के समय व्यक्तिगत पहचान स्थापित करने में किया जा सकता है। वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची निम्न प्रकार है:–
(I) आधार कार्ड,
(ii) ड्राइविंग लाइसेन्स,
(iii) पैन कार्ड,
(iv) भारतीय पासपोर्ट,
(v) राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों या अन्य निजी औद्योगिक घरानों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए सेवा पहचान–पत्र,
(vi) सांसदों/विधायकों/पार्षदों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र,
(vii) शैक्षिक संस्थाओं, जिसमें संबंधित शिक्षक/स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नियोजित हो, द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र,
(viii) विश्वविद्यालय द्वारा जारी डिग्री/डिप्लोमा का मूल प्रमाण–पत्र,
(ix) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता संबंधी मूल प्रमाण–पत्र, और
(x) यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार।
उपर्युक्त दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर निर्वाचक द्वारा मताधिकार का प्रयोग किया जा सकेगा, बशर्ते कि इससे निर्वाचक की पहचान स्थापित हो जाती हो।
मतदाता फोटो पहचान पत्र में निर्वाचक, पिता, माता एवं पति का नाम तथा लिंग, आयु या पता से संबंधित प्रविष्टियों में मामूली विसंगतियों को नजरंदाज कर देना चाहिये। मतदाता को मतदान करने की अनुमति दी जा सकती है, बशर्त्ते मतदाता की पहचान मतदाता फोटो पहचान पत्र से सुनिश्चित की जा सके।
उक्त सूचना **www.state.bihar.gov.in/prdbihar** पर भी देखी जा सकती है।
(अशोक प्रियदर्शी)
उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार
PR. No. 014018 (Election) 2026-27
नशामुक्त हो जाए बिहार, सुरक्षित रहे घर परिवार।

न्यायालय, समाहर्त्ता एवं जिला दंडाधिकारी, सुपौल
बिहार सरकार
फोन नं0–06473–223112 (कार्या0) 06473–224210 (फैक्स)
E-mail : legalsectionsupaul@gmail.com,
E-mail : dm-supaul.bih@nic.in
नामान्तरण पुनरीक्षण/जमाबंदी रद्दीकरण वाद संबंधी सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि (1) पुनरीक्षणकर्त्ता निर्मली देवी, पति–योगेन्द्र पासवान, साकिन–चकला निर्मली, वार्ड नं0–06, पो0+थाना+जिला–सुपौल के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सुपौल के नामान्तरण अपील वाद सं0–167/2025–26 में दिनांक 03.07.2026 को पारित आदेश के विरूद्ध नामान्तरण पुनरीक्षण वाद सं0–29/2026–27 दायर किया गया है।
(2) अपीलार्थी सुधीर प्रसाद, पे0–स्व0 नागेश्वर प्रसाद, साकिन+पो0–कोरियापट्टी, (प0) थाना–जदिया, जिला–सुपौल के द्वारा अपर समाहर्त्ता, सुपौल के जमाबंदी रद्द वाद सं0–58/2024–25, में दिनांक 23.06.2026 को पारित आदेश के विरूद्ध जमाबंदी रद्दीकरण अपील वाद सं0–08/2026–27 दायर किया गया है।
अतएव कॉलम 05 में अंकित विपक्षी वाद से संबंधित दावा/साक्ष्य के संबंध में यदि कोई सूचना देना चाहते है हो या दावा करना चाहते हो तो उक्त निर्धारित तिथि को समाहर्त्ता न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते है।
नामान्तरण पुनरीक्षण/जमाबंदी रद्दीकरण वाद से संबंधित भूमि की सूची निम्न प्रकार है :–

Sl.	Case No.	Case Type	Petitioner VS Respondent	Address of Respondent	Land Detail	Next Date of Hearing
1	2	3	4	5	6	7
1	29/2026-27	नामान्तरण पुनरीक्षण वाद	निर्मली देवी, बनाम राजेन्द्र सुतिहार एवं राज्य	राजेन्द्र सुतिहार, पिता–स्व0 देव नारायण सुतिहार, साकिन–किशनपुर दक्षिण टोला–फुलकाहा, वार्ड नं0–11, थाना–किशनपुर, जिला–सुपौल	अंचल–सुपौल, मौजा–सुपौल चकला निर्मली, सुपौल नगरपालिका, वार्ड नं0–12(पु0), नगर परिषद, वार्ड नं0–27 (नया), थाना नं0–217, खाता 99 (नया), खेसरा 1723, रकवा 0–6.550 डी0	26-10-2026
2	08/2026-27	जमाबंदी रद्दीकरण अपील वाद	सुधीर प्रसाद बनाम मल्लो मंडल	मल्लो मंडल, पिता–मिश्री मंडल, सा0+पो0–कोरियापट्टी, (प0), वार्ड नं0–13, थाना–जदिया, जिला–सुपौल	मौजा–कोरियापट्टी, थाना–जदिया, जिला–सुपौल, खाता–777, खेसरा 4407 रकवा 0–18डी0, 0–09डी0, जमाबंदी नं0–4914/1419, 1127	26-10-2026

यदि निर्धारित तिथि को वर्णित वाद में कोई दावेदार या कोई सूचक न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष नहीं रखते है/कोई दावा नहीं करते है एवं उक्त वाद के संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो सक्षम प्राधिकार द्वारा उपर्युक्त वाद के संबंध में एकपक्षीय आदेश पारित किया जा सकता है।
यदि उपर्यक्त वर्णित भूमि से संबंधित किसी न्यायालय में **अपील/नामान्तरण** दायर किया गया हो या विचाराधीन हो तो इस संबंध में संबंधित पक्ष किसी भी कार्य दिवस को समाहर्त्ता न्यायालय में उपस्थित होकर सूचना दे सकते हैं।
आज दिनांक– 09/10/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय के मुहर से जारी किया गया।
PR- 014044 (District) 2026-27
समाहर्त्ता–सह–जिला दंडाधिकारी, सुपौल
नशे से बचने का है एक ही उपचार, दृढ़ संकल्प और परिवार से प्यार।

कॉमरेड सिद्धनाथ राम की संकल्प सभा आयोजित

सहार (भोजपुर)। मेहनतकश गरीबों के संघर्षशील कम्युनिस्ट नेता कॉमरेड सिद्धनाथ राम की संकल्प सभा उनके पैतृक गांव मथुरापुर में आयोजित की गई। सभा में केंद्र, राज्य और जिला कमिटी के नेताओं सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। शुरुआत उनके तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर और एक मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि देने से हुई। सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले भोजपुर जिला सचिव अभ्युदय ने कहा कि कॉमरेड सिद्धनाथ राम ने सामंती शोषण



और दमन के खिलाफ गरीबों व मजदूरों की लड़ाई का नेतृत्व किया और उन्हें मान-सम्मान दिलाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि उनका निधन मेहनतकश गरीबों के आंदोलन के लिए अपूरणीय क्षति है। उनके संघर्षों और विरासत को आगे बढ़ाना ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सभा की अध्यक्षता पृथ्वीनाथ राम, आरती कुमारी और रामानंद ठाकुर ने की, जबकि संचालन तरारी प्रखंड सचिव उपेंद्र भारती ने किया। मौके पर आरा सांसद सुदामा प्रसाद, जवाहरलाल सिंह, राजू यादव, कयामुद्दीन अंसारी, पूर्व विधायक चंद्रदीप सिंह, शिवप्रकाश रंजन, महानंद सिंह सहित कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

न्यायालय, सब जज प्रथम
जगदीशपुर, जिला-भोजपुर
नम्बरी वाद संख्या-226/2025
नन्द कुमार गुप्ता.........................मुदई
बनाम्
मुस्मात मुनी कुंवर वगैरह...मुदालेहुम
गजट बनामः-प्रतिवादी सं.-1. मु. मुनी कुंवर पति-स्व. रामाकान्त साह 3. अनील साह 4. रंजीत साह, दोनों पिता-स्व. रामाकान्त साह 5. ओम प्रकाश साह 6. जय प्रकाश साह, दोनों पिता-स्व. गणेश साह 7. मीना देवी 8. जुही देवी दोनों पिता-स्व. लक्ष्मण साह 10. बसन्ती देवी पति राम अवतार साह 11. बिरेन्द्र साह 12. नागेन्द्र साह 13. बब्लु साह, तीनों पिता-राम अवतार साह सभी ग्राम7खरौनी, पो.-खरौनी, थाना-बिहियां, जिला-भोजपुर।
चूं, वजरिये इस गजट प्रकाशन के माध्यम से आपलोगों को सूचित किया जाता है कि आपलोगों के विरुद्ध मेरे न्यायालय द्वारा उपरोक्त मोकदमे में सम्मन रजिस्ट्री कवर जानी किया गया है, इसके बावजूद भी आपलोग मेरे न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकें है, इसलिए इस गजट प्रकाशन के द्वारा आपलोगों को सूचित किया जाता है कि आपलोग दिनांक 19.12.26 को समय सुबह 10.30 बजे मेरे न्यायालय में वकालतन वो असालतन हाजिर होकर जो भी उजुरदारी करना है, करें अन्यथा आपलोगों के अनुपस्थिति में आपलोगों के विरुद्ध इस मोकदमे में एकपक्षीय कारवाई की जाएगी।
इसे सख्त ताकिद जानें।
आज दिनांक 14.10.26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय के मुहर से जारी किया गया।
आदेशानुसार
सब जज प्रथम
अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय
जगदीशपुर, भोजपुर
9/482/26

बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना – 800015
अत्यावश्यक सूचना
सभी संबंधित को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि बिहार विधान परिषद् के पटना स्नातक एवं पटना शिक्षक, तिरहुत स्नातक एवं तिरहुत शिक्षक, दरभंगा स्नातक एवं दरभंगा शिक्षक, कोसी स्नातक तथा सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का द्विवार्षिक निर्वाचन, 2026 के अवसर पर निर्वाचकों की व्यक्तिगत पहचान अनिवार्य है। निर्वाचक की व्यक्तिगत पहचान स्थापित होने के पश्चात् ही मतदान करने की अनुमति दी जायेगी। शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के भी निर्वाचक होते हैं। विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक होने के कारण निर्वाचकों की व्यक्तिगत पहचान के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचकों को मतदाता फोटो पहचान पत्र निर्गत किये गये हैं। ऐसे मतदाता फोटो पहचान पत्र के आधार पर निर्वाचक अपनी व्यक्तिगत पहचान स्थापित कर मतदान में भाग ले सकते हैं। वैसे निर्वाचक जिन्हें किसी कारणवश निर्वाचक फोटो पहचान पत्र निर्गत नहीं किया जा सका है अथवा निर्वाचक फोटो पहचान पत्र किसी कारणवश प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उनकी व्यक्तिगत पहचान के लिए आयोग के द्वारा वैकल्पिक फोटो दस्तावेजों की सूची जारी कर दी गई है, जिनका इस्तेमाल मतदान के समय व्यक्तिगत पहचान स्थापित करने में किया जा सकता है। वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची निम्न प्रकार है:–
(i) आधार कार्ड,
(ii) ड्राइविंग लाइसेन्स,
(iii) पैन कार्ड,
(iv) भारतीय पासपोर्ट,
(v) राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों या अन्य निजी औद्योगिक घरानों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए सेवा पहचान–पत्र,
(vi) सांसदों/विधायकों/पार्शदों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र,
(vii) शैक्षिक संस्थाओं, जिसमें संबंधित शिक्षक/स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नियोजित हो, द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र,
(viii) विश्वविद्यालय द्वारा जारी डिग्री/डिप्लोमा का मूल प्रमाण–पत्र,
(ix) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता संबंधी मूल प्रमाण–पत्र, और
(x) यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार।
उपर्युक्त दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर निर्वाचक द्वारा मताधिकार का प्रयोग किया जा सकेगा, बशर्ते कि इससे निर्वाचक की पहचान स्थापित हो जाती हो।
मतदाता फोटो पहचान पत्र में निर्वाचक, पिता, माता एवं पति का नाम तथा लिंग, आयु या पता से संबंधित प्रविष्टियों में मामूली विसंगतियों को नजरंदाज कर देना चाहिये। मतदाता को मतदान करने की अनुमति दी जा सकती है, बशर्त्ते मतदाता की पहचान मतदाता फोटो पहचान पत्र से सुनिश्चित की जा सके।
उक्त सूचना **www.state.bihar.gov.in/prdbihar** पर भी देखी जा सकती है।
(अशोक प्रियदर्शी)
उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार
PR. No. 014016 (Election) 2026-27
नशामुक्त हो जाए बिहार, सुरक्षित रहे घर परिवार।